लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

दिनांक : 09 नवम्बर, 2015 को सम्पन्न हुई कार्यपरिषद की बैठक संख्या 10/2015 की

कार्यवाही

उपस्थिति

1. डॉ0 एस0बी0 निमसे	अध्यक्ष/कुलपति
2. प्रो0 यू0एन0 द्विवेदी(प्रतिकुलपति)	सदस्य
3. प्रो0 अरविन्द कुमार	सदस्य
4. प्रो0 कालीचरण स्नेही	सदस्य
5. प्रो0 पद्मकान्त	सदस्य
6. प्रो0 यू0डी0 मिश्रा	सदस्य
7. डॉ0 एस0ए0 रिज़वी	सदस्य
8. डॉ0 शशि कनौजिया	सदस्य
9. डॉ0 ओ0पी0 शुक्ला	सदस्य
10.श्री अनिल कुमार सिंह	सदस्य
11.डा0 सूर्यकान्त	सदस्य
12.श्री सुरेश चन्द्र तिवारी	सदस्य
13.श्री देवी प्रसाद चौधरी	सदस्य
14.डॉ0 अखिलेश कुमार मिश्रा	सचिव/कुलसचिव

Scanned by CamScanner

सर्वप्रथम मा0 कुलपति महोदय ने बैठक के आरम्भ में सभी मा0 सदस्यों का स्वागत किया और बैठक में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले सदस्य डॉ0 मोहम्मद सिराजुद्दीन उपाचार्य, जन्तु विज्ञान विभाग, एवं डॉ0 वी0डी0 सिंह, उपाचार्य, विधि संकाय के योगदान एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। परिषद के नवागत सदस्य प्रो0 आर0के0 वर्मा, उपाचार्य, विधि संकाय, डॉ0 राकेश कुमार सिंह उपाचार्य, विधि संकाय एवं मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा नामित सदस्य मा0 न्यायमूर्ति रंजना पाण्डेय, जो किसी कारणवश बैठक में सम्मिलित नही हो सकी, प्रो0 आभा अवस्थी, डॉ0 श्यामबाबू गुप्ता, डॉ0 हरिभाऊ गोपीनाथ खनदेकर का स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय एवं कार्य परिषद को नवागत सदस्यों के अनुभव का लाभ मिलेगा और कहा कि बैठक में मा0 न्यायमूर्ति रंजना पाण्डेय उपस्थित नही है परन्तु उनकी अनुपस्थित में भी हम उनका स्वागत करते है।

तद्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने दिनांक 09.11.2015 के स्थगित बिन्दुओ पर बैठक आरम्भ करने के निर्देश दिये। इस पर परिषद के सचिव/कुलसचिव ने परिषद के उन बिन्दुओं/मदों के सम्बन्ध मेंअवगत कराया जिन पर पिछली बैठक में विचार नही किया गया था। सचिव द्वारा मदवार कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः–

मद संख्या 05 – कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो प्रो0 आर0 के0 माहेश्वरी के प्रत्यावेदन दिनांक 03.05.2005 जो कि प्रो0 मधुरिमा को अनुमन्य प्रवक्ता वरिष्ठ वेतनमान, उपाचार्य वेतनमान, आचार्य पद पर उनकी अर्हता की तिथि तथा प्रोन्नतियों को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों की जॉच से सम्बन्धित था के क्रम में गठित की गयी फैक्ट फाइडिंग समिति (प्रो0 एम0 वर्मा) की संस्तुतियों दिनांक 16.04.2015 के क्रम में तथा उक्त के सम्बन्ध में महामहिम कुलाधिपति के पत्र संख्या–ई–7966/5–जी0एस0 (68)/2013 V दिनांक 25.08.2015 तथा उत्तर में मा0 कुलपति महोदय द्वारा महामहिम कुलाधिपति को प्रेषित पत्र संख्या–वी0सी0/578/015 दिनांक 01.10.2015 एवं प्रो0 आर0 के0 माहेश्वरी के प्रत्यावेदन दिनांक 03.05.2005 के निस्तारण हेतु मा0 कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति कार्यवाही (प्रो0 एम0 वर्मा समिति की संस्तुतियों का प्रस्तर–1) सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नवागत सदस्यों को उक्त सम्बन्ध में अवगत होना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकरण को अगली कार्य परिषद की बैठक में रखने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या 06 – परिषद द्वारा कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26.12.2013 में श्री राकेश कुमार सोनी कनिष्ठ लिपिक लेखा कार्यालय के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान टी0सी0–44 विभूतिखण्ड गोमती नगर के पत्र दिनांक 27 मार्च, 2015 एवं 07 मार्च, 2015 जिसमें मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने के लिए अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रकरण मा0 परिषद के समक्ष पुर्न विचारार्थ प्रस्तुत।

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner

परिषद ने (ए0जी0) एडवोकेट जनरल द्वारा श्री राकेश कुमार सोनी कनिष्ठ लिपिक लेखा कार्यालय के विरूद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा अभियोजन चलाने के प्रकरण पर **Opinion** लिये जाने के उपरान्त अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति दी जाये।

मद संख्या 07 – परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत कृष्णा इस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बी0के0टी0 लखनऊ में बी0ए0 पाठयक्रम की सहयुक्तता को 2015–16 से इस शर्त के साथ समाप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कि बी0ए0 पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश/कक्षायें चलती रहेगी, परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 08 – परिषद द्वारा स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत यशराज इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बाधा मऊ लखनऊ में बी0एड0 पाठयक्रम सत्र 2016–17 से अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या 09 – कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप जो कुलाधिपति के पत्र संख्या–ई–7835/5 जी0एस0(दी0स0)/11 III दिनांक अगस्त, 2015 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय में 58 वां दीक्षांत समारोह मा0 कुलाधिपति महोदय/राज्यपाल द्वारा निर्धारित तिथि दिनांक 19.01.2016 परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा मा0 अध्यक्ष/कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया

मद संख्या 10 – दिनांक 19.09.2015 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की बैठक के पूरक कार्यसूची के कार्यवृत्त के विनिश्चय संख्या–18 को निम्न संशोधन के साथ पढ़ा जाये।

कार्य परिषद द्वारा डॉ0 प्रेम चन्द्र सिंह यादव, सहायक आचार्य के विरूद्ध चल रही विभागीय कार्यवाही के स्थान पर संशोधन करते हुए विभागीय कार्यवाही/अनुशानात्मक कार्यवाही के साथ पढ़ा जाये।

परिषद द्वारा उक्त संशोधन में डॉ0 शैलेश कुमार कौशल का भी नाम जोड़कर संशोधन के साथ पढे जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

मद संख्या 11 – परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–31 (3) (C) के अधीन कार्य परिषद की बैठक दिनांक 10.06.2004 के निर्णयानुसार लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ के मानवशास्त्र विभाग में कार्यरत प्रवक्ता डॉ0 समीरा मैती के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रकरण परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

Scanned by CamScanner

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 समीरा मैती को एक पत्र निर्गत कर दिया जाये कि उनकी छः माह का अवकाश समाप्ति की तिथि के उपरान्त अपना त्यागपत्र सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करे अन्यथा कि स्थिति में कार्य परिषद में जो निर्णय लिया जायेगा उससे उनको अवगत करा दिया जायेगा।

मद संख्या 15– लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ में दिनांक 31.03.2011 तक कार्यरत दैनिक वेतन कर्मचारियो को नियत वेतन प्रदान किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उक्त परिचर्चा के क्रम में परिषद ने सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया कि दिनांक 31.03.2011 तक दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को आवश्यकतानुसार 11 माह के लिए कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त नियत वेतन प्रदान कर दिया जाये एवं आवश्यकतानुसार इनका सेवा विस्तार 11–11 माह के लिए पुनः बढ़ाने पर विचार किया जाये। नियत वेतन के रूप में इन कर्मियों को वही भुगतान देय होगा जो वर्तमान में समकक्ष नियत वेतन भोगी कर्मचारियों को दिया जा रहा है।

पूरक कार्यसूची – 2015

मद संख्या 1 – शासनादेश संख्या–1694/सत्तर–1–2003–17(13)/95 दिनांक 1 अगस्त, 2003 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय में असिस्टेन्ट प्रोफेसर हेतु पृथक तथा एसोसिएट प्रोफेसर के पदों हेतु पृथक विभाग को इकाई मानते हुए आरक्षण लागू किये जाने का शासनादेश परिषद के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.07.2015 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–6/2015–16/सत्तर–1–2015–17(13)/95 टी0सी0 दिनांक 30 नवम्बर, 2015 से परिषद अवगत हुई।

मद संख्या 2 – परिषद द्वारा दीक्षान्त समारोह मे वस्त्र सज्जा परिधान निर्धारित करने के सम्बन्ध में समिति के निम्न निर्णयों पर सहमति/अनुमोदन प्रदान किया जाना।

सर्द मौसम

पुरूष शिक्षक
बंद गला का कोट(काला), पैंट(काला), जूता(काला) अंगवस्त्र–महरून (गोल्ड वार्डर के साथ)

महिला शिक्षिका
सिल्क साड़ी क्रीम ब्लाउज क्रीम (गोल्ड वार्डर के साथ), जूता(काला)

छात्र
कुर्ता–महरून, पाजमा–चूड़ीदार(क्रीम), जूता(काला) महरून स्वेटर (ऊपर) अथवा गर्म इनर

Scanned by CamScanner

छात्राएँ

महरून साड़ी गोल्ड बॉर्डर के साथ या महरून कुर्ता चुन्नी/हिजाब के साथ, सलवार (चूड़ीदार'क्रीम) महरून स्वेटर (ऊपर अथवा गर्म इनर)

गर्म मौसम

पुरूष शिक्षक

शर्ट (क्रीम), पैंट (काला), सदरी–काला, अंगवस्त्र–महरून (गोल्ड बार्डर के साथ)

महिला शिक्षिका

कॉटन साड़ी(क्रीम) चिकनकारी के साथ, जूता (काला)

छात्राएँ

महरून साड़ी गोल्ड बॉर्डर के साथ या महरून कुर्ता चुन्नी/हिजाव के साथ, सलवार (चूड़ीदार–क्रीम)

छात्र

कुर्ता (महरून), पाजमा–चूड़ीदार (क्रीम), जूता (काला)

डायस

कुलाधिपति	–	क्रीम कपड़े पर गोल्ड एवं महरून जरदोज़ी
कुलपति	–	गोल्ड कपड़े पर महरून जरदोज़ी
प्रतिकुलपति	–	गोल्ड कपड़े पर महरून जरदोज़
मुख्य अथिति	–	डल आरेंज पर गोल्ड जरदोज़ी
मानद उपाधि प्राप्तिकर्ता	–	नेवी ब्लू कपड़े पर गोल्ड एवं महरून जरदोज़ी
कुलसचिव	–	हरे कपड़े पर गोल्ड जरदोज़ी

विद्वत यात्रा सदस्य

विद्या परिषद सदस्य	–	गोल्ड कपड़े पर महरून बॉर्डर
कार्य परिषद सदस्य	–	महरून कपड़े पर गोल्ड बॉर्डर

परिषद द्वारा दीक्षांत समारोह में वस्त सज्जा परिधान निर्धारित किये जाने पर उक्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–3

प्रबुद्ध मेडिकल कालेज हारिपटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, महाविद्यालय ग्राम– बक्का खेरा, थरी माल, मलिहाबाद, लखनऊ में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में सत्र 2015–16 से सहयुक्तता पर परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृत प्रदान किया जाना।

परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या–4

मा0 गवर्निंग काउन्सिल द्वारा आहूत बैठक दिनांक 05 सितम्बर 2014 के एजेण्डा आइटम 02 के अनुसार प्रो0 निशीथ राय, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ के पद पर स्थायी संविलयन कर लिया गया है। पद पर संविलयन होने के परिणाम स्वरूप इस पद का धारणाधिकार प्रदत्त करते हुए पूर्व में धारित प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद का धारणाधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाने का परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाना।

Scanned by CamScanner

प्रो0 निशीथ राय प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को निदेशक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ के पद पर स्थायी संविलयन हो जाने के उपरान्त पूर्व में धारित प्रोफेसर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ के पद का धारणाधिकार तत्काल प्रभाव से समाप्त माने जाने पर परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

<u>अन्य मद।</u>

मद संख्या–01 कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप में जो लखनऊ विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में प्रवक्ता पद पर कार्यरत डॉ0 बाल चन्द्र यादव के तीन वर्ष के स्वीकृत वेतनरहित असाधारण अवकाश के पश्चात अद्यतन अपने विभाग में कार्यभार ग्रहण न करने के उपरान्त संशोधित परिनियम 15.19 के प्राविधानान्तर्गत निष्कासित किये जाने विषयक प्रकरण कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि डॉ0 बाल चन्द्र यादव को पत्र प्रेषित कर दिया जाये कि उनका असाधारण अवकाश नियमतः विस्तारित नही किया जा सकता। वे अपने पद से त्यागपत्र दे दें अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सूचित कर दिया जायेगा।

मद संख्या–02 केन्द्रीय लेखा कार्यालय द्वारा प्रस्तुत टीप के अनुसार वित्त समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 16.11.2015 के बिन्दु संख्या–2 पर प्रस्तुत विश्वविद्यालय के पुराने परिसर के वास्तविक ग्रहकर का (बिना ब्याज के) भुगतान नगर निगम को किये जाने के उपरान्त अधिशाषी अभियंता निर्माण विभाग द्वारा मात्र एक वर्ष के गृहकर रू0 16,31,801/– को आधार मानने हुए वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक छः वर्ष से गृहकर का भुगतान लखनऊ नगर निगम को नही किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर वित समिति द्वारा लिये गये सैद्धांतिक निर्णय अर्थात पुराने परिसर के भवनों को ब्याज रहित गृहकर भुगतान कर दिये जाने के साथ रू0 16,31,801/– न होकर रू0 97,90,806/– अंकित होनी चाहिए थी। उक्त सैद्धांतिक सामान्य रखते हुए अगणन की त्रुटि को ठीक कर देय धनराशि रू0 97,90,806/–किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव कार्य परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा गृहकर रूपये 16,31,801/– को संशोधित कर रू0 97,90,806/– किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या–03 परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित शोध पीठ (चेयर्स) गठित किये जाने पर विचार किया जानाः–

01- Bhaurao Devras Chair in Commence & Ethics
02- Pandit Deen Dayal Upadhaya Chair in Skill Development.
03- AbhinavGupta Chair in Aesthetics and Saiva Philosophy
04- Birbal Sahni Chair in Natural Sciences
05- Chandra Bhan Gupta Chair
06- Acharya Narendra Dev Chair
07- Ram Manohar Lohia Chair
08- Awadh Studies Chair

Scanned by CamScanner

परिषद द्वारा क्रम संख्या–01 से 08 तक शोधपीठ (चेयरों) गठित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0–04 लखनऊ विश्वविद्यालय मे एम0आई0एच0 विभाग में प्रो0 एन0 के0 जुत्शी पूर्व विभागाध्यक्ष एम0आई0एच0 विभाग के नाम पर गोल्ड मेडल गठित करने पर विचार।

परिषद द्वारा सहमति प्रदान की गयी

बैठक के अन्त में अध्यक्ष कार्य परिषद द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय के गणित विभाग की प्रस्तावित कैरियर एडवान्समेन्ट योजनान्तर्गत प्रोन्नति के प्रकरणों में रिक्त पदो के सापेक्ष अध्यापकों को सम्मिलित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मा0 अध्यक्ष महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक समाप्ति की घोषणा की।

(अखिलेश कुमार मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

(डॉ0 एस0बी0 निमसे)
कुलपति / अध्यक्ष

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner